



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No.
2599/2025

In

S. B. Criminal Appeal No. 3326/2025

1. Ajmal Shah Son Of Nasir, Aged About 31 Years, Resident Of Village Fakir Pura, Tehsil Tirwa, Police Station Indergarh, District Kannauj, Uttar Pradesh. (At Present Confined In Central Jail Sever District Bharatpur)
2. Arif Son Of Vakar Alias Vikar, Aged About 31 Years, Resident Ward No. 15, Gulabwadi, Mohalla, Villagae Bhojpur, Police Station Bhojpur, Janpad Moradabad, Uttar Pradesh. (At Present Confined In Central Jail Sever District Bharatpur)
3. Nazim Alias Nazid Alias Nazir Son Of Haroon Alias Hamid, Aged About 31 Years, Resident Of Pyas Mohalla, Anjani Road, Kaswa Sirouli, Police Station Sirouli, Janpad Bareilly, Uttar Pradesh. (At Present Confined In Central Jail Sever District Bharatpur)
4. Haroon Son Of Nizamuddin, Aged About 51 Years, Resident Of Village Pitauja, Police Station Jahanaganj, Janpad, Farrukhabad, Uttar Pradesh. (At Present Confined In Central Jail Sever District Bharatpur)
5. Nadeem Son Of Mohammad Ikram, Aged About 25 Years, Resident Of Gulabwadi Mohalla, Kasba And Police Station Bhojpur, Janpad Moradabad, Uttar Pradesh. (At Present Confined In Central Jail Sever District Bharatpur)
6. Nazim Son Of Hamid, Aged About 34 Years, Resident Of Village Nai Basti Usaid, Police Station Usaid, Janpad Badaun, Uttar Pradesh. (At Present Confined In Central Jail Sever District Bharatpur)
7. Salman Alias Javid Alias Bhura, Son Of Zakir Hussain, Aged About 31 Years, Resident Of Anjanipur Pyas Mohalla, Town Siroli, Police Station Siroli, District Bareilly, Uttar Pradesh. (At Present Confined In Central Jail Sever

District Bharatpur)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Rahul Agrawal, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

21/05/2026

प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र, भरतपुर के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 15/2019 में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से याची-अभियुक्तगण धारा 395, 458, 120बी भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध घोषित कर अधिकतम 05 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्तगण का निवेदन है कि अपीलार्थी-अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, अभियुक्तगण चार वर्ष की सजा भुगत चुके हैं, दोषसिद्धी हेतु पर्याप्त सामग्री पत्रावली पर नहीं रही है, अपील में सफल होने की पूर्ण

संभावना है, किन्तु अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया एवं समस्त तथ्यों पर विचार किया गया।

यद्यपि अभियुक्त सलमान का काफी भारी-भरकम तथा कुछ अभियुक्त का तुलनात्मक रूप से कम आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अधिकतम 05 वर्ष की सजा के मुकाबले सभी अभियुक्तगण चार वर्ष की सजा भुगत चुके हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जो तर्क उठाये हैं, वे गंभीरता से विचारण योग्य हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्तगण द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी-अभियुक्त **1. अजमल शाह पुत्र नासिर, 2. आरिफ पुत्र वकार उर्फ विकार, 3. नाजिम उर्फ नाजिद उर्फ नाजिर पुत्र हारून, 4. हारून पुत्र निजामुद्दीन, 5. नदीम पुत्र मोहम्मद इकराम, 6. नाजिम पुत्र हामिद तथा 7. सलमान उर्फ जाविद उर्फ भूरा पुत्र जाकिर उर्फ जाकिर हुसैन** की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि इस न्यायालय में **दिनांक 24.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा **एक लाख रुपये** का बंधपत्र एवं **पचास-पचास हजार रुपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत

कर तस्दीक करवा दें तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी-अभियुक्तगण के संबंध में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित **17.10.2025** के तहत कारावास के संबंध में दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

20/DINESH KUMAWAT/754